

कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक/2843/वित्त/ई.एल./2025

दिनांक 17.04.2025

“नीलामी आमंत्रण विज्ञप्ति”

कबीरधाम जिले के विभिन्न थाना/चौकी में एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त किये गये ऐसे 24 वाहन (दो पहिया वाहन 08, चार पहिया वाहन 12, ट्रैक्टर 01, ट्राली 01 एवं भारी वाहन 02) की खुली बोली प्रक्रिया के तहत नीलामी किया जाना है। नीलामी न्यू पुलिस लाइन कबीरधाम के परेड ग्राऊण्ड में दिनांक 22.04.2025 दिन मंगलवार को नियत की जाती है। इच्छुक क्रेता वाहन के लिये नियम एवं शर्तों के बिन्दु क्रमांक 03 में दर्शित राशि का बैंक ड्राफ्ट पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम के नाम से जमा करने उपरांत ही बोली बोल सकते हैं। वाहनों को नीलामी तिथि के पूर्व कार्यालयीन समय में थाना चिल्फी में होण्डा कार क्र. जेएच-04 डी-8284 व आईसर ट्रक क्र. युपी-86 टी-4176 तथा शेष 22 वाहनों को पुलिस लाइन कबीरधाम के परेड ग्राऊण्ड में जाकर देख सकते हैं। नीलामी की अन्य शर्तें पुलिस लाइन कबीरधाम के नोटिस बोर्ड पर देखी व प्राप्त की जा सकती है।

“नियम एवं मुख्य शर्तें”

कबीरधाम के विभिन्न थाना/चौकी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त किये गये दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की नीलामी हेतु गठित कमेटी के लिये निम्नानुसार नियम व शर्तें निर्धारित की जाती है :-

1. नीलामी पुलिस लाइन कबीरधाम में दिनांक 22.04.2025 दिन मंगलवार प्रातः 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक नियत की जाती है।
2. वाहन पृथक-पृथक पुलिस लाइन कबीरधाम में 22 वाहन व थाना चिल्फी में होण्डा कार क्र. जेएच-04 डी-8284 व आईसर ट्रक क्र. युपी-86 टी-4176 खड़ी है, अतः जहां है एवं जिस हाल में है को आधार पर नीलामी होगी। बोलीकर्ता/क्रेता वाहनों को संबंधित स्थलों पर जाकर देख/अवलोकन कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीकर्ता/क्रेता प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक निम्नानुसार सुरक्षा राशि जमा हेतु बैंक ड्राफ्ट पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के नाम का बंद लिफाफा को दिनांक 21.04.2025 कार्यालयीन समय तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, लिफाफे के ऊपर वाहन क्रमांक या इंजन नंबर या चेचिस नंबर अंकित करना होगा।

वाहन का प्रकार	राशि (रुपये में)
दो पहिया	2,000/-
चार पहिया	5,000/-
ट्रेक्टर ट्राली	5,000/-
भारी वाहन	10,000/-

4. नीलामी के लिए आवेदन पत्र जिसका मूल्य 1000/- रु. है रक्षित निरीक्षक न्यू पुलिस लाइन कवर्धा में उपलब्ध है। बोलीकर्ता/क्रेता आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वाहन के लिए बैंक ड्राफ्ट के साथ निर्धारित जानकारी भरकर बंद लिफाफा में दिनांक 21.04.2025 तक कार्यालयीन समय में न्यू पुलिस लाइन कबीरधाम में रक्षित निरीक्षक के समक्ष जमा करने उपरांत ही नीलामी बोली में शामिल हो सकते हैं।
5. बोलीकर्ता को सुरक्षा राशि जमा करने के साथ-साथ लिफाफा में अपना पूरा नाम पता, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर साफ-साफ लिखना अनिवार्य होगा।
6. नीलामी खुली बोली प्रक्रिया के तहत किया जावेगा, जिसमें उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा नीलामी बोली की सम्पूर्ण राशि तत्काल निर्धारित शासकीय मद में जमा कराकर रसीद/चालान की कापी प्रस्तुत करने पर वाहन सुपुर्दगी की कार्यवाही जावेगी।

7. किन्ही भी दो बोलियों के राशि के बीच में 20 प्रतिशत से अधिक का और 05 प्रतिशत से कम का अंतर नहीं होना चाहिए।
8. यदि उच्चतम बोलीकर्ता नीलामी बोली की राशि तत्काल जमा नहीं कराता है, तो समिति सुरक्षा जमा की राशि जप्त कर द्वितीय उच्च बोलीकर्ता को वाहन सुपुर्द करने की कार्यवाही करेगी। द्वितीय उच्च बोलीकर्ता/क्रेता को तत्काल समयावधि में उसके द्वारा बोली की राशि जमा करने पर वाहन सुपुर्द किया जावेगा, यदि द्वितीय उच्च बोलीकर्ता/क्रेता तत्काल राशि जमा नहीं कर पाता है, तब बोली निरस्त कर पुनः नीलामी कार्यवाही किया जावेगा।
9. बोलीकर्ता/क्रेता द्वारा नीलामी बोली की राशि जमा करने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर संबंधित परिसर/मैदान से वाहन को ले जाना/हटाना अनिवार्य होगा। यदि 07 दिवस से अधिक समय तक वाहन को लेकर नहीं जाते हैं/हटाते हैं तब बोली राशि का 01 प्रतिशत प्रतिदिन पार्किंग शुल्क वसूल किया जावेगा।
10. नीलामी बोली की राशि जमा करने के पश्चात् “अनुसूची-1” के अनुसार एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।
11. वाहन के नवीन पंजीयन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को लेकर बोलीकर्ता संबंधित परिसर जावेगा, जहां पर उससे “अनुसूची-2” के अनुसार “सुपुर्दगी-प्रपत्र” लेकर वाहन हस्तान्तरित किया जावेगा।
12. वाहन क्रेता की जिम्मेदारी होगी कि वह परिवहन विभाग से वाहन का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) अपने नाम पर अंकित करवायेगा।
13. अस्वीकृत बोलीकर्ता की सुरक्षा जमा के बैंक ड्राफ्ट को नीलामी दिनांक के 10 दिवस पश्चात् रिलीज किया जा सकता है।
14. जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार रहेगा।

संलग्न :- वाहनों की जानकारी/सूची संलग्न।

क्रमांक/ 2844/वित्त/ई.एल./2025

प्रतिलिपि :- 1. पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम को सूचनार्थ।

2. सर्व संबंधित जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त कलेक्टर

जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

दिनांक 17.04.2025

अतिरिक्त कलेक्टर

जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन का नंबर	इंजन नंबर	चेचिस नंबर	आफसेट प्राईज
1	राजदूत	MP26-A-2919	-	-	2000
2	एम्बेसडर कार	OR02-H-7339	6EPDX007212	ADX782502	5,000
3	टाटा एस मैजिक	CG09-JF-0595	G600WIVDS7M8786466	MAT491014H6P27119	30,000
4	टीव्हीएस	SOLD	BK2BNL302610	MD625BK20NLB07286	4,000
5	सीटी-110 टीव्हीएस	बिना नंबर	PFYWK0966	MD2B37AYXKWH22862	3,000
6	टाटा सुमो	CG08-K-0754	497SPTC42JZY640616	MAT446144A9J29039	15,000
7	स्वीफ्ट डिजायर	OD07-A-8811	D13A1256102	MA3FKEB2S00186599	14,000
8	दो चक्का ट्राली	-	-	-	10,000
9	टाटा टिगोर कार	OD07-AK-8182	REVTRA08NYXKB2272	MAT62920MK76109	30,000
10	स्पेलेंडर	HR27-L-0980	HA11EANHH53214	MBLHAW175NHH20968	5,000
11	टाटा इन्द्रा (छोटाहाथी)	OD19-T-7158	1.5CRAILO5DYXS38938	MAT535069MYH31369	60,000
12	टाटा इंडिगो कार	MH49-C-4029	475IDT14CTZP40187	607144CTZP47162	10,000
13	महिन्द्रा मार्शल कार	CG10-6945	AB14K79401	12K19440	15,000
14	हुंडई कार	MP19-CA-1715	D4FA7U363409	MALCM41VR7M034821	15,000
15	मासुति आर्टिगा कार	OD07-Y-6010	D13A-5594643	MA3FLEBIS00518255	40,000
16	टाटा कार जेस्ट	OD15-Q-0165	100A2000-0801304	MAT624004KPE02414	15,000
17	महिन्द्रा डीआई टैक्टर	MP32-AB-1072	RKH4YAA1994	MBNAAVGAKRH01986	1,00,000
18	होण्डा कार	JH04-D-8284	L15A71222092	MAKGM253HAN110379	15,000
19	आयसर ट्रक	UP86-T-4176	E413CDFH043358	MC2F8HRCOFH106488	90,000
20	स्पेलेंडर मो.सा.	UP93-AD -9445	HA10ELCHF29826	MBLHA10ASCHF26364	5,000
21	रायल एनफिल्ड बुलेट	MP20-ZH-8061	J3A5FKP2219587	ME313A5FKE2006968	10,000
22	होण्डा एसपी साईन	UP73-AF-2944	KC35EA6058641	ME4KC35GERA039314	7,000
23	टीव्हीएस मो.सा.	MP49-ZE-7030	CK2HR1904602	MD625AK27R1H04570	4,500
24	टाटा ट्रक 1109	HR55-AA-1148	497TC44HTY832811	MAT457059G7H14700	1,50,000